

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक.प्रशा/वि.क./व.ले.प.अ.-2026/का.आ.- 166

दिनांक : 28.11.2025

संशोधित कार्यालय आदेश

विषय: Mandatory training to AAOs to be empaneled for promotion as SAOs

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश 146 दिनांक 11.11.2025 एवं कार्यालय आदेश 159 दिनांक 19.11.2025 की निरंतरता में इस कार्यालय द्वारा वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपरिहार्य कारण से प्रशिक्षण दिनांक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. समय सारणी/व्याख्याता के नाम में संशोधन

स. क्र.	विषय	नामित व्याख्याता	संशोधित दिनांक	समय
1	IT Security & Emerging applications in IA&AD	Sh. Amit Kumar Mishra, AAO 02/10959	29.11.2025 (6 th Session)	06:30 PM to 07:45 PM
2	Overview of Revenue Audit- Audit of Indirect Taxes	Sh. Shivam Dwivedi, AAO 02/10826	28.11.2025 (5 th Session) 29.11.2025 (1 st Session)	05:00 PM to 06:15 PM 10:00 AM to 11:15 AM
3	Overview of Municipal Accounting	Sh. Naval Kishore, SAO 01/10304	28.11.2025 (6 th Session)	06:30 PM to 07:45 PM

शेष प्रशिक्षण कार्यक्रम यथावत रहेगा।

(प्राधिकार: उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेशानुसार)

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष

क्रमांक.प्रशा/वि.क./व.ले.प.अ.-2026/

दिनांक :- 28.11.2025

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, म.प्र., भोपाल- 462011
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर
4. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, म.प्र., भोपाल- 462011, कृपया कार्यालय आदेश 146 दिनांक 11.11.2025 के Annexure 'A' में सरल क्रमांक 10 एवं 15-19 में वर्णित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एवं व्याख्याताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित

करे एवं सरल क्रमांक 20 में वर्णित वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा के अधिकारी के लिए शेष दिनों के प्रशिक्षण का आयोजन करने का कष्ट करे।

5. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अभिरक्षा में रखने हेतु।
6. उप महालेखाकार/AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV, AMG-V, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर
7. उप निदेशक (केंद्रीय), उप निदेशक (केंद्रीय प्राप्ति), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर। कृपया कृपया कार्यालय आदेश 146 दिनांक 11.11.2025 के Annexure 'A' में सरल क्रमांक 11-14 में वर्णित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करे।
8. उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पश्चिम मध्य रेलवे), जबलपुर। कृपया कृपया कार्यालय आदेश 146 दिनांक 11.11.2025 के Annexure 'B' में सरल क्रमांक 21-25 में वर्णित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करे।
9. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र., ग्वालियर। कृपया कृपया कार्यालय आदेश 146 दिनांक 11.11.2025 के Annexure 'B' में सरल क्रमांक 26-36 में वर्णित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करे।
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11, 12, 13, 14, ITA, Report, Report (PAC), Hindi Cell, CC, FAAS-M, FAAP, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, SMU। कृपया अपने समूह/अनुभाग में कार्यरत संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एवं व्याख्याताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित करे।
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/फास (विविध), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), म.प्र., भोपाल, शाखा ग्वालियर। कृपया अपने समूह/अनुभाग में कार्यरत संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एवं व्याख्याताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित करे।
12. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/GE, CRA-I, CRA-II, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर। कृपया अपने समूह/अनुभाग में कार्यरत संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एवं व्याख्याताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित करे।
13. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS-Wing को इंटरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
14. श्री उत्कर्ष यादव, स.ले.प.अ. को इंटरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करना सुनिश्चित करने बावत।
15. सम्बंधित व्याख्याता
16. सूचना पटल।


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष